

(By Speed Post)



पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 11 November, 2022

PGCIL/R/2022/M-43 /134/

Shri Deshraj Jaat,
S/o Shri Amilal Jaat, Village-Fatehpur, Tehsil- Bansur, District-Alwar, Rajasthan-301402

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 14 October, 2022 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।


उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,


(ए. जगन्नाथ राव)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: श्री देशराज जाट, अलवर, राजस्थान द्वारा आर.टी.आई. के तहत आवेदन का जवाब

मांगी गई सूचना;	पावरग्रिड का जवाब:
<p>765 KV हाईटेंशन लाईन के center, या फिर, out of Conductor से घर की maximum दूरी कितनी होनी चाहिए, प्रतिलिपी भेजें</p>	<p>765 kV कंडक्टर से घर के लिए मंजूरी के संबंध में आरटीआई के संदर्भ में निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है:</p> <p>(क) पारेषण लाइनों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ, सुरक्षा अपेक्षाओं संबंधी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित जमीन और भवनों आदि के संबंध में अपेक्षित न्यूनतम विद्युत स्वीकृतियां रखी जाती हैं।</p> <p>(ख) "सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय" के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों के खंड संख्या 61 में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भवन या भवन के भाग के ऊपर या उससे सटे हुए ओवरहेड लाइन की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज निकासी निर्धारित की गई है।</p> <p>(ग) न्यूनतम निर्धारित स्वीकृतियां ओवरहेड विद्युत लाइन के वोल्टेज स्तर पर आधारित होती हैं। 33 केवी से अधिक लाइनों के लिए, न्यूनतम ऊर्ध्वाधर निकासी प्रत्येक अतिरिक्त 33 केवी या उसके हिस्से के लिए 3.7 मीटर प्लस 0.3 मीटर है और न्यूनतम क्षैतिज निकासी प्रत्येक अतिरिक्त 33 केवी या उसके हिस्से के लिए 2.0 मीटर प्लस 0.3 मीटर है।</p>
	<p>(English Version of Reply): With reference to RTI query regarding clearance for house from 765 KV conductor, the following is clarified:</p> <p>(a) Transmission Lines are constructed in such a manner that, inter-alia, required minimum electrical clearances with respect to ground and buildings etc. as stipulated under Central Electricity Authority's Regulations on Safety Requirements are maintained.</p> <p>(b) Clause No. 61 of Central Electricity Authority Regulations for "Measures relating to Safety and Electric Supply" inter-alia stipulate the vertical and horizontal clearance of an overhead line passing above or adjacent to any building or part of a building.</p> <p>(c) The minimum stipulated clearances are based on voltage level of the overhead power line. For lines exceeding 33 kV, the minimum vertical clearance is 3.7 m plus 0.3 m for every additional 33 kV or part thereof and the minimum horizontal clearance is 2.0 m plus 0.3 m for every additional 33 kV or part thereof.</p>

देशराज जाट